Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(19)/LC/RTPP/ 19 / 3790 **Date:-29-04-19**

अतिआवश्यक

R.S.R.D.C. Ltd. Unit electrical-Ist, Project Director
Receipt No. 103
Date 30/4

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाईः– विद्युत–प्रथम, जयपुर।

विषयः–प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रथम अपील 19/2019, M/s Pyrotech Electronics Pvt. Ltd.(Unit- II) जरिये श्री (अनिल पारिक) ने परियोजना निदेशक राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, आर.एस.आर.डी.सी.में पारित निर्णय दिनांक 24.04. 2019 आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2019 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि विभाग को देने का श्रम करें।

भवदीय,

(सुधीर कुमार दीक्षित)
विधि सलाहकार

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Phone: EPBX-2711386-90 E-Mail:- gm@rsrdc.com Fax:- 0141-2711178 Website:- RSRDC.Com
RTPP

कार्यालय प्रथम अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 19/2019

M/s Pyrotech Electronics Pvt. Ltd.(Unit- II)

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर, एवं अन्य

प्रथम अपील प्राधिकारी – शैलेन्द्र माथुर (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री अनिल पारीक,
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट – राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2019

यह कि वर्तमान अपील प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी M/s Pyrotech Electronics Pvt. Ltd.(Unit- II) ने दिनांक 25.02.2019 को जरिये श्री अनिल पारीक प्रस्तुत कर परियोजना निदेशक यूनिट– राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर, अपलोड तकनीकी समिति की रिर्पोट दिनांक 29.01.2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। :–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 352/2018–19 दिनांक 11.01.2019 को जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उपयोग हेतु राजकीय सूक्ष्म एवं लधु औधोगिक इकाईयों से फर्नीचर क्रय करने हेतु दर सविंदा के लिए **खुली तकनीकी एवं वित्तिय** आनलाईन निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में ई प्रौक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत आंमत्रित की गई। तकनीकी समिति द्वारा निविदा की शर्तो की पूर्ति के अभाव में अपीलान्ट की निविदा को तकनीकी मूल्यांकन के स्तर पर ही दिनांक 29.01.2019 को स्वीकार नही किया गया। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लिमिटेड की निविदा को निबिदा में अपलोड किये गये बिड कागजात में कमियॉ बताते हुये तकनीकी मूल्यांकन में स्वीकार नही करने की राहत के लिए ये अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी स्वयं की निविदा को इस आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकार नही किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा अपलोड बिड कागजात के साथ उघोग आधार मेमोरेन्डम एवं इन्टरनेशनल इस्टेन्डर ऑग्रेनाईजेशन प्रमाण पत्र में जो कार्य का अनुभव दर्शित है, वो फर्नीचर का नही होकर इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक सामान का है। वांछित कार्य का अनुभव नही होने के कारण तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निरस्त किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख का अनुशीलन, अवलोकन व विवेचन किया गया। मेरिट पर अपील को देखा गया। अपीलार्थी द्वारा निविदा में अपलोड उघोग आधार मेमोरेन्डम एवं इन्टरनेशनल इस्टेन्डर ऑग्रेनाईजेशन प्रमाण पत्र के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि इन प्रमाण पत्र में अपीलार्थी फर्म का जो कार्य अनुभव वर्णित है, वेा फर्नीचर का ना होकर इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक कार्य से सम्बन्धित हैं, जबकि निविदा में समान कार्य का अनुभव वांछित था। तकनीकी समिति द्वारा निविदा में वांछित कार्य का अनुभव नही होने के कारण अपीलार्थी की निविदा को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि एवं राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 में प्रदत्त प्रावधान की अवहेलना नही किया जाना पाया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा तकनीकी समिति की रिपोर्ट दिनांक 29.01.2019 के विरूद्व अपील दिनांक 25.02.2019 को प्रस्तुत की गई है जबकि दिनांक 25.02.2019 से पूर्व ही वित्तिय बिड दिनांक 15.02.2019 को खोली जा चुकी है। राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 38 में प्रदत्त प्रावधान "परन्तु यह ओर कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहॉ वित्तीय बोली के मामले से सम्बन्धित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है" के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन स्तर पर निविदा अस्वीकार किये जाने के विरूद्व दायर अपील वित्तीय बिड खोलने के पश्चात् दायर होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

यह कि राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 की धारा 40 (ख) सपठित धारा 6(1) में प्रदत्त प्रावधान की बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालो के भाग लेने को सिमित करने वाले उपापन मामलों में अपील किया जाना वर्णित है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील मैसर्स डेनियल फर्नीचर प्रा.लिमिटेड की निविदा को निरस्त कराने हेतु दायर की गई है। जो पोषणनीय नही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.04.2019 को सुनाया गया ।

प्रथम अपील प्राधिकारी ,

(महाप्रबन्धक)
आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।